

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 58/2021 (2021/130)

दर्ज दिनांक 23.03.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

भवानीराम आत्मज परथु जाट निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल आत्मज किशोर जाट
2. लोभचन्द आत्मज किशोर जाट
3. गोपीलाल आत्मज बिहारी जाट
4. देवीलाल आत्मज रामा जाट
5. धापुदेवी पत्नि मोहनलाल जाट
6. प्यारचन्द आत्मज रामा जाट
7. पुष्पा पुत्री मोहन लाल जाट
8. पारसी पुत्री मोहन लाल जाट
9. बगतावरी पत्नि जुवारा जाट
10. मीटुलाल आत्मज बिहारी जाट
11. रामेश्वर आत्मज मोहनलाल जाट
12. मोहनी पत्नि शंकरलाल जाट
13. शंकरलाल आत्मज जुवारा जाट
14. कमला पुत्री वेणीराम जाट
15. गीता पुत्री वेणीराम जाट
16. नानी पुत्री वेणीराम जाट
17. रतनलाल आत्मज भेरा जाट
18. रामकन्या पुत्री किशनलाल जाट
19. लीला पुत्री किशनलाल जाट
20. शंकरी पुत्री वेणीराम जाट
21. सुगना पुत्री वेणीराम जाट
22. हरलाल आत्मज बेणीराम जाट

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::


निर्णय दिनांक:-05.07.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1166 रकबा हे0, 1167 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 829 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 22 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1166 रकबा 0.77 हे0, 1167 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.82 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 829 पर दर्ज होकर स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(विकास पंचोली) वरिष्ठ  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.